न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
25 / 2025	FSS ACT	21.05.2025	28.01.2026

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

—आवेदक

बनाम

1 चैतन सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह उम्र 40 वर्ष, जाति जाट, विक्रेता मैसर्स मां भगवती कोल्ड स्टोर, बदरिका तहसील सैंपऊ धौलपुर
2 श्री शिव दयाल त्यागी पुत्र श्री राम सनेही (पार्टनर : मैसर्स मां भगवती कोल्ड स्टोर, बदरिका तहसील सैंपऊ धौलपुर) निवासी ग्राम बदरिका, पोस्ट बसईनबाव तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर
3 श्री पीतम सिंह त्यागी पुत्र श्री राम सनेही (पार्टनर : मैसर्स मां भगवती कोल्ड स्टोर, बदरिका तहसील सैंपऊ धौलपुर) निवासी ग्राम बदरिका, पोस्ट बसईनबाव तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर
4 श्री श्रीनिवास त्यागी पुत्र श्री राम सनेही (पार्टनर : मैसर्स मां भगवती कोल्ड स्टोर, बदरिका तहसील सैंपऊ धौलपुर) निवासी ग्राम बदरिका, पोस्ट बसईनबाव तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर

—अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)(iii)/52,54,63 ,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.01.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)(iii)/51,54,63 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 29.10.2024 को सुबह 11:30 एएम बजे मैसर्सः– मां भगवती कोल्ड स्टोर, बदरिका तहसील सैंपऊ धौलपुर पर पहुंचा मौके पर मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम चैतन सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह उम्र 40 वर्ष, जाति जाट, विक्रेता मैसर्स मां भगवती कोल्ड स्टोर, बदरिका तहसील सैंपऊ धौलपुर बताया एवं लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहा तो उन्होने खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर लगभग 60 कटटे (प्रत्येक 37किग्रा) मिक्स केक (ग्वाल गोपाल) आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। मिक्स

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

केक (ग्वाल गोपाल) में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मिक्स केक (ग्वाल गोपाल) का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। विक्रेता की उक्त मिल्क केक के कटटों में से एक कटटा खोलकर 02 किलोग्राम मिक्स केक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता चैतन सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह को रू. 240/– (दो सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिक्स केक (ग्वाल गोपाल) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिक्स केक (ग्वाल गोपाल) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलिन की 20–20 बूंदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम एयरटाईट बंद किये गये तथा लेबर तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 3279 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 3279 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया एवं शेष माल प्रथम दृष्टया मिलावटी एवं बदबूदार प्रतीत होने पर नष्ट करवाया गया, फर्द नष्टीकरण पत्रावली में संलग्न है। मिक्स केक (ग्वाल गोपाल) 02–02 किग्रा डिब्बों में पेक किया गया जिन पर बैच नंबर, उत्पादन तिथि एवं उपयोग की तिथि अंकित नहीं होने पर मिसब्राण्ड की श्रेणी में पाया गया जिसके लेवल की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर चैतन सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हर्स्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांघ कर चार जगह सील

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या VI की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/374 दिनांक 25.11.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/928/एक्ट/2024/952 दिनांक 14.11.2024 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिक्स केक (ग्वाल गोपाल) Food Containing Extraneous Matter प्रकृति का पाया गया जो कि आवेदन के साथ संलग्न है। डिब्बे के लेवल पर बैच नंबर, उत्पादन तिथि उपयोग तिथि नहीं होने पर मिसब्राण्ड पाया।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने Food Containing Extraneous Matter एवं मिसब्राण्ड मिक्स केक (ग्वाल गोपाल) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii)(iii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 52, 54, 63 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त स्वयं उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के विरूद्ध मिक्स केक (ग्वाल गोपाल) के सैंपल का प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011 श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त सैंपल एफ0एस0एल0 की जांच रिपोर्ट के अनुसार Food Containing Extraneous Matter एवं मिसब्राण्ड का होना पाया है। अप्रार्थी ने जानबूझकर अपने स्तर पर उक्त खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की है। फिर भी अप्रार्थी प्रकरण में अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करता है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अप्रार्थी जुर्माना जमा कराने को तैयार है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

हमने पैरोकार सरकार व अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./795/Act/2024/819 DATE 24-10-2024** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

"**Opinion-** The sample of **'Mix cake (prepared by Smp, Skimmed Milk, Cardamom, Sugar & Refined Palmolien Oil)'** bearing code & serial No. **D-3279** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Food Containing Extraneous Matter under section 3(1)(i)** of food Safety and Standards (Food product standard and food aditives) Act, 2006 due to presence of starch.

अप्रार्थी द्वारा Food Containing Extraneous Matter एवं मिसब्राण्ड मिक्स केक (ग्वाल गोपाल) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) (ili) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी Food Containing Extraneous Matter एवं मिसब्राण्ड मिक्स केक (ग्वाल गोपाल) बेचने का दोषी है जो धारा 52, 54 व 63 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी 1. चैतन सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह उम्र 40 वर्ष, जाति जाट, विक्रेता मैसर्स मां भगवती कोल्ड स्टोर, बदरिका तहसील सैंपऊ धौलपुर 2. श्री शिव दयाल त्यागी पुत्र श्री राम सनेही (पार्टनर : मैसर्स मां भगवती कोल्ड स्टोर, बदरिका तहसील सैंपऊ धौलपुर) निवासी ग्राम बदरिका, पोस्ट बसईनबाव तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर 3. श्री पीतम सिंह त्यागी पुत्र श्री राम सनेही (पार्टनर : मैसर्स मां भगवती कोल्ड स्टोर, बदरिका तहसील सैंपऊ धौलपुर) निवासी ग्राम बदरिका, पोस्ट बसईनबाव तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर 4. श्री श्रीनिवास त्यागी पुत्र श्री राम सनेही (पार्टनर : मैसर्स मां भगवती कोल्ड स्टोर, बदरिका तहसील सैंपऊ धौलपुर) निवासी ग्राम बदरिका, पोस्ट बसईनबाव तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 , 54 व 63 के तहत 75000/–रुपये (पिचहत्तर हजार रू0) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner